

**उद्देश्य (Objectives) :**

- प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की उन्नति का प्रयास करना।
- मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर अंजाम देना।
- ग्रामीण जनता को प्रसवकाल में परम्परागत जन्म सहायिका के स्थान पर प्रशिक्षित प्रसूति सहायिका उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण स्तर पर कार्यरत दाइयों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना।
- आपातकाल में प्रसूति के लिए गर्भवती माता की सहायता, नवजात की देखभाल, जटिल परिस्थितियों की पहचान और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था हेतु कार्यक्रम तैयार करना।
- परिवार कल्याण सेवाओं की सफलता हेतु प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण समुदाय में से ही महिला सहायक तैयार करना।

**प्रवेश योग्यता ( Admission Eligibility) :**

18 वर्ष की महिलाएँ, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 8 वीं पास एवं तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाली महिलाएँ (कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित ग्राम सरपंच अथवा पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

- अवधि (Duration) :** न्यूनतम 6 माह ; अधिकतम 2 वर्ष  
**माध्यम (Medium) :** पाठ्य सामग्री केवल हिन्दी में उपलब्ध  
**श्रेयांक (Credit) :** 18  
**शुल्क (Fee) :** रुपये 2000/- (रुपये दो हजार मात्र)

**कार्यक्रम संरचना**

**(Programme Structure):** इस कार्यक्रम में निम्नांकित तीन पाठ्यक्रम हैं।

क्र.सं. (S.No.)	पाठ्यक्रम का नाम (Name of Course)	पाठ्यक्रम कोड (Course Code)	श्रेयांक (Credit)
1.	शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान	सीओए-01	6
2.	नर्सिंग एवं सामुदायिक स्वास्थ्य	सीओए-02 & 03	6
3.	प्रसूति विज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक	सीओए-04 & 05	6

**परीक्षा पद्धति (Examination Pattern) :**

न्यूनतम अवधि समाप्त होने के बाद विद्यार्थी को लिखित सत्रांत (मुख्य) परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम 100 अंकों का होगा। सीओए 04 एवं 05 दोनों 50-50 अंकों के होंगे तथा दोनों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 36 प्रतिशत अंक लाने होंगे। सफल विद्यार्थियों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी –

- प्रथम श्रेणी – 60 प्रतिशत एवं अधिक  
द्वितीय श्रेणी – 48 प्रतिशत या अधिक एवं 60 प्रतिशत से कम  
उत्तीर्ण – 36 प्रतिशत या अधिक एवं 48 प्रतिशत से कम

**नोट :** COA-05 पाठ्यक्रम (प्रश्नपत्र) के प्रायोगिक भाग हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को एक केस डायरी भरनी होगी तथा इस केस डायरी में कम से कम 15 प्रसूति केस में सहायक के रूप में कार्य करने का प्रमाणपत्र पर्यवेक्षक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करवाकर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रायोगिक केन्द्र पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त केस डायरी में प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल (Ante Natal & Post Natal) सम्बन्धी निर्धारित केसों का भी प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा। छात्रों को पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

